

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जमा भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृत स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति को जित्त उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा ही आदेशक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवनों के निषीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल 15/2 की केवल आवासीय भूखण्ड
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 103 दिनांक 22/05/2013

प्राची नैनीयन्द 310 श्री गणेशमल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

भाग 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु सार्वजनिक कार्यालय में पत्र

कर स्वनिर्धारण शीत खर्चे 11101/- (गण) है

जसिये रसीद संख्या 1021/2014-15

दिनांक 22/05/13 को जमा करा दी है ।

(Signature)
प्रमुखकार
नगर निगम, जोधपुर

P.No: 216 कम्हा नैहरु नगर
श्री 15/2

जी 11
आवासीय

(Signature)
24/5/19